2024/29

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

बजरंगसिंह बनाम सरकार

प्रकरण संख्या :– ~~2023~~ 29/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	05/02/24	पत्रावली तहसीलदार आमेर के पत्रांक भू-अभि/2024/86 दि. 09/01/2024 द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान का प्राप्त हुआ। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी के दिं 13/02/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर	बजरंग सिंह
	13/02/2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर न्याय हित में स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली तकमील हुक्म शामिल रिकार्ड दर्ज रजिस्टर से कम हो। उप खण्ड अधिकारी आमेर जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :– 29 / 2024
जीसीएमएस नं0 :– 2024 / 29
उनवान :– बजरंग सिंह बनाम सरकार

::– आदेश –::

दिनांक: 13.02.2024

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू.अ. / 2024 / 86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा0पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रूण्डल की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 83 में सभी खातेदारान की जाति दरोगा दर्ज है। श्रीमान शासन उपसचिव महोदय के आदेश क्रमांक प.3(2) राज–6 / 2021 दिनांक 19.04.2023 की पालना में खातेदार की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर